**झारखण्ड सरकार**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,**

**संकल्प**

संख्या– 805 राँची, दिनांक :– 5.2.2021

विषय– **झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट–ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में।**

झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य गठन से अद्यावत कुल छह संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया गया है।

2. विभागीय संकल्प सं0 7052 दिनांक 17.08.2016 के द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 (विज्ञापन सं0 23/2016) में अभ्यर्थियों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः 01.08.2010 एवं 01.08.2016 कट–ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी। उक्त परीक्षा के विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम अनुशंसा में किन्हीं कारणों से लगभग 4 वर्षों से अधिक का समय लग गया है। आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा में छूट देने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 के नियम 6 में निम्नांकित प्रावधान किया गया है–

**6. Age**:-

(i) A candidate should have completed the minimum age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 1st day of the following month from the date of publication of the advertisment for the examination under these rules.

(ii)(a) The upper age limit prescribed above will be relaxable as below or as amended by the Government from time to time-

| **Sl. No.** | **Category** | **Upper Age Limit** |
|---|---|---|
| 1 | Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II) | 37 years |
| 2 | Female (Unreserved/ Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)) | 38 years |
| 3 | Scheduled Tribes/Scheduled Castes (Male and Female) | 40 years |
| 4 | Economically Weaker Section (EWS) | 35 years |

4. आयोग के द्वारा माह फरवरी, 2021 में आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन का प्रकाशन किया जाना सम्भावित है। **अतः राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः दिनांक 01.08.2016 एवं दिनांक 01.03.2021 कट–ऑफ तिथि सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रखे जाने का निर्णय लिया गया है।**

5. चूँकि The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 के नियम 4(i) में यह प्रावधानित है कि आयोग प्रत्येक वर्ष इस नियमावली के तहत संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। अतः सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का उपरोक्त कट ऑफ तिथि के छूट का प्रावधान मात्र आगामी परीक्षा के लिए मान्य होगा।

6. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख संख्या 11/लो0से0आ0–01–19–2016 का0–742 दिनांक 03.02.2021 के द्वारा मंत्रिपरिषद की दिनांक 03.02.2021 की बैठक में मद संख्या–35 के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को भेजी जाए।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–01–19/2016 का0 **805**/राँची, दिनांक– **5.2.2021**

प्रतिलिपिः– नोडल ऑफिसर, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अधीक्षक, राजकीय प्रेस, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो0से0आ0–01–19/2016 का0 **805** /राँची, दिनांक– **5.2.2021**

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।